(260)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : पं. 3 (28) न.वि.वि./3/96 जयपुर, दिनांक 10 अक्टूबर, 2000

परिपत्र

विषय :- कृषि/आवासीय भूमि से गैर-कृषि/गैर आवासीय प्रयोजनार्थ कुछ श्रेणियों की दरों के निर्धारण के संबंध में।

इस विभाग के परिपत्र सम संख्यक दिनांक 13.9.2000 में "भू-उपयोग परिवर्तन" के स्थान पर "भू-उपयोग नियमन एवं आवंटन" पढ़ा जावे।

उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय योग्य सीमा तथा नगर निगम/पालिका सीमा में से जो भी अधिक विस्तृत हो, उसी को 13.9.2000 के परिपत्र के संदर्भ में सीमा मानकर उसके बाहर का क्षेत्र पैरीफेरी माना जावेगा।

पैरीफैरी बैल्ट के लिये पूर्व में निर्धारित दरों में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है :-

प्रयोजन	पूर्व दरें	संशोधित नई दरें
संस्थानिक प्रयोजनार्थ [दिनांक 13.9.2000 के परिपत्र में क्रम संख्या-I (2)] औद्योगिक, होटल्स, रिसोर्ट, अस्पताल, सिनेमा आदि [दिनांक 13.9.2000 के परिपत्र के क्रम संख्या-I (3)]	10 रुपये प्रति व.ग.	कोई परिवर्तन नहीं।
आवासीय उपयोग के लिये दरें	10 रुपये प्रति व.ग.	30 रुपये प्रति व.ग.
वाणिज्यिक दरें :-		
(अ) राष्ट्रीय राज मार्ग/राज्य राज मार्गों के किनारे स्थित भूमि के अलावा अन्य भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग की दरें	20 रुपये प्रति व.ग.	60 रुपये प्रति व.ग.
(ब) राष्ट्रीय राज मार्ग/राज्य राज मार्गों के किनारे स्थित भूमि पर [निर्धारित सड़क सीमा छोड़कर]	20 रुपये प्रति व.ग.	90 रुपये प्रति व.ग.

नोट :-

1. उपरोक्त सभी दरें जयपुर शहर की पैराफेरी बैल्ट में 5 किलोमीटर की परिधि में लागू होंगी। इस सीमा के आगे दिनांक 13.9.2000 के परिपत्र में दी गई दरें ही लागू रहेगी।

2. पैराफेरी बैल्ट की दरें सम्पूर्ण भू-खण्ड पर एक ही दर से लागू की जावेगी।

ऐसी आवासीय योजनाएं जो निजी विकासकर्त्ता द्वारा पैराफेरी बैल्ट में विकसित की गई है तथा सम्पूर्ण योजना का नियमन/आवंटन कराये जाने का आवेदन किया गया हो, उनके सम्बन्ध में आवासीय/संस्थागत/वाणिज्यिक राशि भूमि के उतने क्षेत्र पर ली जावेगी जिसका इन प्रयोजनों हेतु वास्तविक उपयोग किया गया हो/किया जाना प्रस्तावित हो।

विभागीय परिपत्र दिनांक 13.9.2000 में नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ नियमन करने हेतु दरों का निर्धारण किया गया है, अतः भविष्य में नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक नियमन हेतु भी धारा 90 (बी) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत ही आवंटन/नियमन की कार्यवाही की जावेगी।

मास्टर प्लान में दर्शित पैराफेरी कन्ट्रोल बैल्ट में भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन), नियम 2000 के अन्तर्गत ही की जानी है। पैराफेरी कंट्रोल बैल्ट से भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रकरण संबंधित जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय समिति में उपरोक्त नियमों के तहत दिये गये प्रावधानों के तहत निर्णीत किये जावेगें।

(जी.एस. संधु)
शासन सचिव

(HT) (279)